न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:– अक्षत कुमार सिंह, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर
327/2025 प्रा0 पत्र

दायर दिनांक
03.06.2025

निर्णय दिनांक
07.01.2026

उनवान

1. मो0 शरीफ पुत्र जमाल लुहार मुसलमान, नि0– दांथल तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थी

बनाम

1. मोहम्मद इकबाल खान पुत्र मोहम्मद खान पठान, निवासी तेजाजी चौक, जुनावास, तहसील व जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा (राज0)

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री पृथ्वीराज चौधरी, उपस्थित।
2–विपक्षी संख्या 01 उपस्थित नहीं।
3– विपक्षी संख्या 02 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 1747/2 रकबा 0.3667 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त आराजियात में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 1758 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 1748 रकबा 0.0885 हैक्टेयर की दक्षिणी पश्चिमी मेड से होकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1747/2 में आता–जाता है, जिससे प्रार्थी अपने बैलगाडी, संज, ट्रेक्टर आदि अपने पूर्वजो के समय से लाता ले जाता है, जो गाडी गडार, रास्ता बना हुआ। उक्त रास्तें के अलावा प्रार्थी की आराजी में आने–जाने हेतु अन्य कोई सरल, सुगम रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी की उक्त आराजी में आने–जाने का एकमात्र रास्ता व अन्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, लेकिन विपक्षी संख्या 01 की नियत में फितुर पैदा होने व प्रार्थी की आराजी को हडप करने की गरज से आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करने लग गये। जबकि विपक्षी संख्या 01 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है व विपक्षी संख्या 01 को दिनांक 20.05.2025 को रास्ते में अवरोध पैदा नहीं करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर पर इंकार हो गये।

अतः निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 1747/2 रकबा 0.3667 हैक्टेयर भूमि में आने–जाने का एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 1758 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 1748 की दक्षिणी पश्चिमी मेड से होकर प्रार्थी की आराजी नम्बर 1747/2 में आते–जाते को 16 फीट चौडाई में नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावें एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिये सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिये हम सदैव तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.06.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र कमांक 423 दिनांक 26.08.2025 से रास्ते का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया है कि वादी अपनी आराजी नम्बर 1747/2 में आने-जाने हेतु प्रतिवादी की आराजी नम्बर 1748 में से 16 फीट चौडा रास्ता संलग्न नजरी नक्शा अनुसार आराजी नम्बर 1758 किस्म गै0मु0 रास्ता तक चाहता है। वादी द्वारा उक्त चाहे गये रास्ते का रकबा आराजी नम्बर 1748 रकबा 0.0885 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 चोकडिया में से 0.0063 हैक्टेयर बनता है। वादी द्वारा चाहा गया यह रास्ता लघुतम रास्ता है। वर्तमान में वादी की आराजी मौके पर पडत पडी होकर उसमें बिलायती बबूल के पेड खडे है। ग्राम दांथल की उक्त आराजी नम्बर 1748 असिंचित भूमि की डी0एल0सी0 दर 14,43,200 27 प्रति हैक्टेयर है। आराजी नम्बर 1748 में से रास्ते का रकबा 0.0063 हैक्टेयर बनता है, जिसकी डी0एल0सी0 अनुसार कीमत 0.0063 गुणा 14,43,200 /- = 9092.16 /- रूपये बनती है। जिसको दुगुनी करने पर 18,184.32 /- बनती है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुये प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले प्रचलित डी0एल0सी0 दर से भुगतान हेतु सहमत है। विपक्षी संख्या 01 से उपस्थित नहीं है। इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

-:: आदेश ::-

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 1747/2 में आने-जाने हेतु आराजी नम्बर 1748 से प्रस्तावित नक्शे अनुसार 0.0063 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हुत स्वीकृत किया जाता है। उक्त आराजी की वर्तमान डी.एल.सी.दर अनुसार दुगुनी राशि 18,184.32 /- बनती है जो विपक्षी संख्या 01 को देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.01.....2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

[redacted] सिंह),
उप[redacted]धिकारी
भीलवाडा